

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या: 3370

गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (29 फाल्गुन, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

**बोर्डिंग पास के लिए नियम**

**3370. डॉ. मन्ना लाल रावत:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हवाई यात्रा के लिए बोर्डिंग पास जारी करने के संबंध में क्या नियम हैं;
- (ख) इस संबंध में निजी और सरकारी एयरलाइन, दोनों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रयोज्य विभिन्न प्रावधान क्या हैं;
- (ग) क्या जारी किए गए बोर्डिंग पासों पर विज्ञापन प्राकशित करने के लिए कोई प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चेक-इन बैगेज और हैंड बैगेज में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची का व्यौरा क्या है;
- (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित उल्लंघनों के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या कितनी है और उत्तर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विमानपत्तनवार व्यौरा क्या है; और
- (च) इस संबंध में महराणा प्रताप विमानपत्तन, उदयपुर में की गई कार्रवाई का व्यौरा क्या है?

उत्तर

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

- (क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के लिए बोर्डिंग पास जारी करने के संबंध में कोई विनियमन/परिपत्र/ दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, एयरलाइनें बोर्डिंग पास के संबंध में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करती हैं।
- (घ) से (च): घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान चेक-इन बैगेज और हैंड बैगेज में ले जाने से प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित उल्लंघनों के मामलों का हवाईअड्डा-वार विवरण परिशिष्ट-क के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्षों में सुरक्षा जांच के दौरान ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसके लिए किसी यात्री के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी हो।

दिनांक 30.10.2024 के एओ 11/2024 के अनुसार निषिद्ध वस्तुओं की सांकेतिक सूची

क्र. सं.	वस्तु का नाम	व्यक्ति के पास/ केबिन बैग में	होल्ड बैग में
	हथियार और प्रतिकृतियां		
1.	बी बी गन	नहीं	हाँ
2.	बंदूक (*होल्ड बैग में - लाइसेंस वाले वास्तविक यात्री, लाइसेंस और डीजीसीए की अनुमति वाले खिलाड़ी, आईडी कार्ड और संचलन आदेश/ प्राधिकार पर्ची धारक रक्षा, सीएपीएफ और पुलिस कर्मी)	नहीं	हाँ*
3.	चतुराई से छुपाई गई बंदूकें	नहीं	नहीं
4.	फ्लेयर गन	नहीं	नहीं
5.	मार्शल आर्ट्स हथियार	नहीं	हाँ
6.	मांस क्लीवर	नहीं	हाँ
7.	ननचाकु	नहीं	हाँ
8.	बंदूकें और आग्नेयास्त्रों के कलपुर्जे	नहीं	हाँ
9.	गोली बंदूकें	नहीं	हाँ
10.	आग्नेयास्त्रों की असली जैसी यथार्थवादी प्रतिकृतियां	नहीं	हाँ
11.	सेबर	नहीं	हाँ
12.	तलवार और थ्रो विंग स्टार टिप्पणी: इन -होल्ड बैग में रखी नुकीली वस्तुओं को म्यान में बंद करना या सुरक्षित तरीके से लपेट दिया जाना चाहिए, ताकि बैगेज हैंडलर और निरीक्षकों को चोट न पहुंचे।	नहीं	हाँ
13.	खिलौने हथियार (यदि असली जैसी प्रतिकृतियां न हो)	नहीं	हाँ
14.	वीवीआईपी/ एसपीजी संरक्षित व्यक्ति / विशेष संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षित व्यक्ति के पीएसओ के हथियार जब वह उक्त व्यक्तियों के साथ हो। (*समय-समय पर संशोधित एओ 3/2022 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन)	हाँ*	हाँ
	विस्फोटक		
15.	हिमस्खलन बचाव बैग, प्रति व्यक्ति एक (1), जिसमें डिव. 2.2 में संपीड़ित गैस के कारतूस होते हैं। डिव. 1.4एस के कुल 200 मिलीग्राम तक सीमित पायरोटेक्निक ट्रिगर तंत्र से भी सुसज्जित हो सकते हैं। बैग को इस तरह से पैक किया जाना चाहिए कि यह गलती से एक्टिवेट न हो सके। बैग के अंदर एयरबैग को दबाव राहत वाल्व के साथ फिट किया जाना चाहिए।	नहीं	हाँ
16.	ब्लास्टिंग कैप	नहीं	नहीं
17.	बारूद	नहीं	नहीं

क्रं. सं.	वस्तु का नाम	व्यक्ति के पास/ केबिन बैग में	होल्ड बैगेज
18.	आतिशबाजी / आग पटाखे / पार्टी पॉपर / बैंग स्टैप्स / पायरोटेक्निक	नहीं	नहीं
19.	ईंधन (खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले ईंधन और कोई भी ज्वलनशील तरल ईंधन सहित)	नहीं	नहीं
20.	गन पाउडर	नहीं	नहीं
21.	माइन, ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सैन्य भंडार	नहीं	नहीं
22.	प्लास्टिक विस्फोटक	नहीं	नहीं
<b>खतरनाक सामग्री</b>			
23.	कृत्रिम कंकाल हड्डियाँ (चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान के लिए प्राधिकार पत्र के साथ)	नहीं	हाँ
24.	कुल्हाड़ियाँ और हथौड़े	नहीं	हाँ
25.	संपर्कित वायु गन/ वायु गन	नहीं	हाँ
26.	फ्लेयर्स (किसी भी रूप में)	नहीं	हो
27.	कृपाण (*केवल भारत में भारतीय विमानों में यात्रा करते समय सिख यात्रियों के लिए अनुमति है)	हाँ*	हाँ
28.	चाकू (किसी भी लम्बाई और प्रकार के चाकू, गोल ब्लेड वाले, मक्खन वाले, तथा बिना तेज धार वाले प्लास्टिक के कटलरी को छोड़कर)	नहीं	हाँ
29.	नकल्स (किसी भी सामग्री से बने)	नहीं	हाँ
30	दवा और विशेष आवश्यकता वाले उपकरण: ब्रेल नोट-टेकर, स्लेट और स्टाइलस, वृद्धि उपकरण। (केबिन बैग में रखने की अनुमति तब दी जाती है जब यह सुनिश्चित करने के लिए उनका निरीक्षण किया जाता है कि निषिद्ध वस्तुएं छिपाई नहीं गई हैं)	हाँ	हाँ
31.	प्रिंटर कार्टरिज	नहीं	हाँ
32.	कृत्रिम यंत्र औज़ार और उपकरण जिसमें एलन की/रेंच, कृत्रिम यंत्र लगाने या उतारने के लिए उपयोग की जाने वाली पुल स्लीव्स शामिल हैं, यदि कृत्रिम यंत्र व्यक्ति या उसके साथी के साथ लिया जा रहा हो।	हाँ	हाँ
33.	विस्फोटकों और आग लगाने वाले पदार्थों की असली जैसी प्रतिकृतियाँ	नहीं	नहीं
34.	सुरक्षा परीक्षण के उद्देश्य के लिए विस्फोटक और आग लगाने वाले पदार्थों, बंदूकें, रिवाल्वर, चाकुओं की असली जैसी प्रतिकृतियाँ, आरडी, बीसीएस से विशिष्ट प्राधिकार के तहत ले जाई जाती हैं - संदर्भ एओ 3/2023 - समय-समय पर संशोधित।	हाँ	हाँ
35.	सरीसूपों और कीड़ों की असली जैसी प्राधिकार (जैसे सॉप, बिच्छू, छिपकली, मेंढक, मकड़ी, आदि)	नहीं	हाँ
36.	आरी (ताररहित पोर्टेबल पावर आरी सहित)	नहीं	हाँ
37.	अचेत बंदूकें/ चौंकाने वाला उपकरण	नहीं	नहीं
38.	खिलौने बंदूक और स्प्रे गन का भिन्न रंग और आकार टॉप गन और स्प्रे गन	नहीं	हाँ

क्रं. सं.	वस्तु का नाम	व्यक्ति के पास/ केबिन बैग में	होल्ड बैगेज
	<b>खतरनाक पदार्थ</b>		
39.	एरोसोल (व्यक्तिगत देखभाल या प्रसाधन सामग्री को छोड़कर, सीमित मात्रा में)	नहीं	नहीं
40	खुदरा पैकेजिंग में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, जिसमें मात्रा के हिसाब से 24% से अधिक लेकिन 70% से अधिक अल्कोहल न हो, 5 लीटर से अधिक न हो, प्रति व्यक्ति कुल निवल मात्रा 5 लीटर हो। * अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एलएजी नीति के अनुसार अनुमति दी गई है।	हाँ*	हाँ
41.	कपूर	नहीं	नहीं
42	रासायनिक हथियार निषेध संगठन के कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक यात्रा पर ले जाए जाने पर रासायनिक एजेंट निगरानी उपकरण	नहीं	हाँ
43.	पूल और स्पा के लिए क्लोरीन	नहीं	नहीं
44.	संपीड़ित गैस सिलेंडर (अग्निशामक यंत्र सहित)	नहीं	नहीं
45.	मधुमेह से संबंधित आपूर्ति/ उपकरण, (यह सुनिश्चित करने के लिए एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए कि निषिद्ध वस्तुएं छिपाई नहीं गई हैं) जिसमें शामिल हैं: इंसुलिन और इंसुलिन लोडेड डिस्पेर्सिंग उत्पाद; शीशियां या व्यक्तिगत शीशियों का बॉक्स; जेट इजेक्टर; पेन; इन्फ्यूज़र; और प्रीलोडेड सिरिंज; और असीमित संख्या में अप्रयुक्त सिरिंज, जब इंसुलिन के साथ हों; लैंसेट; रक्त ग्लूकोज मीटर; रक्त ग्लूकोज मीटर परीक्षण स्ट्रिप्स; इंसुलिन पंप; और इंसुलिन पंप आपूर्ति।	हाँ	हाँ
46.	गैस कार्ट्रिज, छोटे, कम-ज्वलनशील जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड या डिवीजन 2.2 में अन्य उपयुक्त गैस होती है। दो (2) छोटे कार्ट्रिज तक एक स्वयं-फुलाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में फिट किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा पहना जाना है, जैसे कि लाइफ जैकेट या वेस्ट। प्रति यात्री दो (2) से अधिक उपकरण नहीं और प्रति उपकरण दो (2) अतिरिक्त छोटे कार्ट्रिज तक, अन्य उपकरणों के लिए 50 एमएल पानी की क्षमता तक के चार (4) कार्ट्रिज से अधिक नहीं	नहीं	हाँ
47.	गैस टॉर्च	नहीं	नहीं
48.	पेट्रोल	नहीं	नहीं
49.	बंदूक लाइटर	नहीं	नहीं
50.	हाइड्रोकार्बन गैस युक्त हैयर कर्लर	नहीं	नहीं
51.	लाइटर फ्लूड	नहीं	नहीं
52.	तरल ब्लीच	नहीं	नहीं
53.	लिथियम धातु बैटरी (वाट-वंटे रेटिंग 100 डबल्यूएच से अधिक नहीं और लिथियम धातु सामग्री 2 ग्राम से अधिक नहीं) प्रति व्यक्ति 2 स्पेयर/ बैटरी, उनके इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से खाली की गई बैटरी के अतिरिक्त।	हाँ	नहीं

क्रं. सं.	वस्तु का नाम	व्यक्ति के पास/ केबिन बैग में	होल्ड बैग में
54	चिकित्सा उपयोग के लिए नाइट्रो-ग्लिसरीन की गोलियां या स्प्रे (यदि दवा या विनिर्माता के नाम या फार्मास्युटिकल लेबल की पहचान करने वाले पेशेवर रूप से मुद्रित लेबल के साथ ठीक से चिह्नित किया गया हो)	हाँ	हाँ
55.	एयरोसोल युक्त व्यक्तिगत देखभाल या प्रसाधन सामग्री (जैसे हेयरस्प्रे, डिओडोरेंट), सीमित मात्रा में *एलएजी नीति के अनुसार	हाँ	हाँ
56.	धुआँ उत्पन्न करने वाले कनस्टर या कारतूस	नहीं	नहीं
57.	नमूने, गैर-संक्रामक, ज्वलनशील तरल की छोटी मात्रा के साथ पैक किए गए (ए 180 को पूरा करना होगा)	नहीं	हाँ
58.	स्पिलेबल बैटरियाँ	नहीं	नहीं
59.	स्प्रे पेंट	नहीं	नहीं
60.	टैलकम पाउडर	नहीं	हाँ
61.	टीअर गैस	नहीं	नहीं
62.	खिलौने ट्रांसफार्मर रोबॉट	हाँ	(बैटरी के बिना)
63.	तारपीन और पेंट थिनर	नहीं	नहीं
64.	मुद्रण वैक्स के अलावा मोम	नहीं	हाँ
<b>औजार</b>			
65.	उपकरण के साथ एलन की	नहीं	हाँ
66.	बिली क्लब	नहीं	हाँ
67.	ड्रिल (ताररहित पोर्टेबल ड्रिल सहित)	नहीं	हाँ
68.	बिना ग्लू के ग्लू गन	नहीं	हाँ
69.	हथौड़ा	नहीं	हाँ
70.	पेंचकस	नहीं	हाँ
71	उपकरण (रेंच और प्लायर्स सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं)	नहीं	हाँ
72.	ट्वीज़र	हाँ	हाँ
73.	रेन्च और प्लायर्स	नहीं	हाँ
<b>इलेक्ट्रॉनिक सामान</b>			
74.	कैमकोर्डर	हाँ	हाँ (बिना बैटरी)
75.	कैमरा उपकरण / ऑवेकासेत फिल्म	हाँ	हाँ
76.	कैटल प्रोड्रेस	नहीं	हाँ
77.	सभी आकार के ड्रोन / यूएवीएस / आरपीएस (बंद स्थिति में और उचित रूप से पैक किए गए)	हाँ (नैनो, माइक्रो ड्रोन)	हाँ

क्र. सं.	वस्तु का नाम	व्यक्ति के पास/ केबिन बैग में	होल्ड बैगेज
78.	ई-सिगरेट (ई-सिगार, ई-पाइप, अन्य व्यक्तिगत वेपोराइज़र, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस), हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और इसी प्रकार के उपकरण)	नहीं	नहीं
79.	गर्भी पैदा करने वाली वस्तुएं जैसे पानी के नीचे जलाई जाने वाली टॉर्च (डाइविंग लैंप) और सोल्डरिंग आयरन।	नहीं	हाँ (बैटरी के बिना)
80.	मोबाइल फोन (स्विच ऑफ स्थिति में)	हाँ Yes	हाँ
81.	पेजर	हाँ Yes	हाँ
82.	निजी डेटा सहायक (पीडीए)	हाँ Yes	नहीं
83.	बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट हैंडसेट (आईएनएमएआरएसएटी) स्विच ऑफ स्थिति में (बीएसएनएल से प्राधिकार के साथ - अनेक हैंडसेट के लिए अनेक प्राधिकार की आवश्यकता होती है)	हाँ	हाँ
84.	आईएनएमएआरएसएटी और जीपीएस उपकरणों के अलावा अन्य सैटेलाइट हैंडसेट - स्विच-ऑफ स्थिति में *दूरसंचार विभाग/ गृह मंत्रालय से अनुमति के साथ - यात्री दूरसंचार विभाग के सरल संचार पोर्टल के माध्यम से अनुमति के लिए अनुरोध कर सकते हैं।	हाँ*	हाँ*
<b>घरेलू सामान</b>			
85.	अंतर्रिमित पंप के साथ एयर मैटरेस	नहीं	हाँ
86.	सभी मसाले भौतिक रूप में (मिर्च को छोड़कर) *स्क्रीनर की संतुष्टि के अध्यधीन	हाँ	हाँ
87.	सिंगार कटर	नहीं	हाँ
88.	नारियल (हार्ड शेल)	नहीं	हाँ
89.	तोड़ा हुआ नारियल (सूखा नारियल)	नहीं	नहीं
90.	तोड़ा हुआ नारियल (ग्रीन टिशू)	हाँ	हाँ
91.	खोपरा (सूखा नारियल)	नहीं	नहीं
92.	कॉर्कस्क्रू	नहीं	हाँ
93.	दाह संस्कार कलश	हाँ	हाँ
94.	क्रोबार्स	नहीं	हाँ
95.	क्यूटिकल कटर (नाखून कटर/ चाकू के बिना क्लिपर्स, नाखून फ़ाइलर, बॉटल ओपनर)	हाँ	हाँ
96.	चश्मा मरम्मत उपकरण	हाँ Yes	हाँ
97.	आईलैश कर्लर (केवल मैनुअल)	हाँ Yes	हाँ
98.	घी (मक्खन) / खाना बनाने का तेल (*एलएजी प्रतिबंधों के अनुसार विमान (बतरनाक सामान का वहन ) नियम, 2003 समय समय पर यथा संशोधन के अनुसार)	हाँ*	हाँ**
99.	आइस एक्स/ आइस पिक्स	नहीं	हाँ
100.	निटिंग और क्रोशै सुइयों	नहीं	हाँ
101.	नाइट स्टिक्स	नहीं	हाँ
102.	अचार	हाँ (मिर्च अचार को छोड़कर)	हाँ

क्रं. सं.	वस्तु का नाम	व्यक्ति के पास/ केबिन बैग में	होल्ड बैगेज
103.	रेज़र- ब्लेड का प्रकार जैसे कि डिब्बा कटर , उपयोगिता चाकू, रेजर ब्लेड, सेफटि रेजर को छोड़ कर	नहीं	हाँ
104.	रोस्सयॉ / लगेज चैन, से लो टे प / मे ज रिं ग / मास्किंग टेप	नहीं	हाँ
105.	सेफ्टी रेजर (डिस्पोजेबल रेजर सहित)	हाँ	हाँ
106.	कैची	नहीं	हाँ
107.	बिना नोकीले कोनो वाले इस्पात/धातु की कटलरी	हाँ	हाँ
108	छाते — फोल्डेबल *स्क्रीनर के अनुरूप	हाँ	हाँ
109.	पैने छोरों वाले छाते	नहीं	हाँ
110	वाँकिंग केन * स्क्रीनर के अनुरूप	हाँ	हाँ
111.	धार्मिक गुरुओं द्वारा धारित लकड़ी की छड़ एस * स्क्रीनर के अनुरूप	हाँ*	हाँ
<b>खेल वस्तु</b>			
112.	सख्त गेंद (गोल्फ गेंदें, क्रिकेट गेंदों आदि)	नहीं	हाँ
113.	होवर बोर्ड / सेगवे	नहीं	नहीं
114.	फुलाने वाली गेंदें (केवल बिना फूली अवस्था में फुटबॉल, बा स्केट बॉल, आदि)	हाँ	हाँ
115.	कुबाटन्स	नहीं	हाँ
116.	सॉफ्ट बॉल (टेबल टैनिस बॉल)	हाँ	हाँ
117.	खेल के सामान जैसे बेस बॉल बैट, धनुष और तीर, क्रिकेट बैट, गोल्फ क्लब, हाँकी स्टिक्स, लैक्रोस स्टिक, पूल क्यू, स्की पोल, स्पेयर गन	नहीं	हाँ
118.	स्पोर्ट्स रैकेट / रैकेट (बैडमिंटन, टोनेस, स्क्राश — ठीक से पैक किया गया)	हाँ	हाँ
119.	स्टार्टर पिस्तौल	नहीं	हाँ

## निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित उल्लंघनों के मामले

परिशिष्ट "क"

क्रम.सं	हवाईअड्डे का नाम	पिछले तीन वर्षों में मामलों की संख्या			
		2022	2023	2024	कुल
1.	अगरतला	04	03	02	09
2.	आगरा	00	02	03	05
3.	अहमदाबाद	02	04	08	14
4.	अमृतसर	02	05	19	26
5.	औरंगाबाद	00	00	02	02
6.	अयोध्या	00	00	03	03
7.	बागडोगरा	00	02	07	09
8.	बैंगलोर	43	79	147	269
9.	भोपाल	01	00	01	02
10.	भुवनेश्वर	05	08	02	15
11.	कालीकट	00	01	03	04
12.	चंडीगढ़	03	03	00	06
13.	चेन्नई	07	08	11	26
14.	कोचीन	02	02	01	05
15.	कोयंबटूर	00	02	04	06
16.	देहरादून	01	01	04	06
17.	डिल्ली	00	01	02	03
18.	दीमापुर	02	05	03	10
19.	गोवा	00	05	09	14
20.	गुवाहाटी	03	05	07	15
21.	ग्वालियर	00	01	00	01
22.	हैदराबाद	17	35	11	63
23.	आईजीआई दिल्ली	41	120	220	381
24.	इंफाल	19	45	53	117
25.	इंदौर	06	06	08	20
26.	जबलपुर	00	00	01	01
27.	जयपुर	01	02	07	10
28.	जम्मू	00	03	02	05
29.	जोधपुर	01	05	10	16
30.	कन्नूर	01	00	00	01
31.	कोलकाता	02	28	23	53
32.	लेह	00	01	04	05
33.	लखनऊ	23	25	16	64
34.	मदुरै	01	00	00	01
35.	मंगलौर	00	01	00	01

36.	एमओपीए	00	03	20	23
37.	मुंबई	67	30	47	144
38.	नागपुर	00	05	02	07
39.	पटना	05	13	12	30
40.	पोर्ट ब्लेयर	00	01	02	03
41.	पुणे	06	10	18	34
42.	रायपुर	07	05	09	21
43.	राजकोट	00	02	03	05
44.	रांची	01	04	02	07
45.	श्रीनगर	00	00	01	01
46.	सूरत	01	00	00	01
47.	त्रिची	00	71	03	04
48.	तिरुवनंतपुरम	00	01	02	03
49.	वडोदरा	00	00	02	02
50.	वाराणसी	12	04	05	21
51.	विजाग	00	00	01	01
कुल		286	487	722	1495